

राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री प्रकाश चन्द चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 वित्त, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वक्फ, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, सहकारिता, राजस्व, खनिज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयुर्वेद, परिवहन, शिक्षा, समाज कल्याण, उद्योग, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि विपणन, प्रारम्भिक शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा, इंदिरा गांधी नहर, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, भू-संरक्षण, कृषि, कार्मिक, सहायता व सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

3. याचिका का उपस्थापन

कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बायतू में भीषण पेयजल संकट से राहत दिलाने हेतु तात्कालिक उपायों का त्वरित प्रबन्ध करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2010-2011 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2010-2011 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

5. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, 232(1) सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति, 2010-2011, प्राक्कलन समिति "क", 2010-2011, प्राक्कलन समिति "ख", 2010-2011 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	27- पेयजल
2.	46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित)
3.	38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 16 मार्च, 2010

एच.आर. कुडी
सचिव